## NOTICE/ सूचनाः

## Mandatory provision of AADHAR under National Trust Schemes/ राष्ट्रीय टुस्ट योजनाओं के तहत आधार अनिवार्यता

Provision for AADHAR has been made mandatory for beneficiaries under Niramaya Health Insurance scheme, Samarth, Gharaunda and Samarth-cum-Gharaunda schemes from 1st April 2024. Click here to see Gazette Notifications:

निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना, समर्थ, घरौंदा और समर्थ-कम-घरौंदा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लिए 1 अप्रैल 2024 से आधार अनिवार्य कर दिया गया है। राजपत्र अधिसूचनाएं देखने के लिए यहाँ क्लिक करें:

- 1. निरामया 18वर्ष से कम / Niramaya Below 18yrs,
- 2. निरामया 18वर्ष से अधिक / Niramaya Above 18yrs,
- 3. आवासीय योजना 18वर्ष से कम/Residential Scheme Below 18yrs,
- 4. आवासीय योजना 18वर्ष से अधिक/ Residential Scheme Above 18yrs